निशुल्क प्रकाशन हेतु

क्रमांक 2647

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

दि. 13/8/12

प्रेस विज्ञप्ति

विषय :– उत्तर मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से सत्र 2012–13 हेतु छात्रवृत्ति आवेदन करने के सम्बन्ध में ।

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा सत्र 2012–13 हेतु समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते है ।

क्र.स.	नाम छात्रवृति	महाविद्यालय/विद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15–9–2012 तक	संस्था प्रधान (महाविद्यालय/ विद्यालय) द्वारा निदेशालय में छात्रवृति आवेदन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25–09–2012
1.	आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति	15.09.2012 तक	25.09.2012 तक
2.	महिला योग्यता छात्रवृति	15.09.2012 तक	25.09.2012 तक
3.	उर्दू छात्रवृति	15.09.2012 तक	25.09.2012 तक
4.	राजनैतिक पीडितो/ स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृति	15.09.2012 तक	25.09.2012 तक
5.	मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृति	15.09.2012 तक	25.09.2012 तक
6.	भारत पाक व चीन युद्ध में मृतक/अपंग सैनिकों के बच्चों/उनकी विधवाओं को छात्रवृति	15.09.2012 तक	25.09.2012 तक
7.	ललित कला छात्रवृति राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर	15.09.2012 तक	25.09.2012 तक
8.	ललित कला छात्रवृति राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस, जयपुर	15.09.2012 तक	25.09.2012 तक
9.	राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावन पुत्रियों को देय छात्रवृति	15.09.2012 तक	25.09.2012 तक
10.	कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति	15.09.2012 तक	25.09.2012 तक
11.	मिलीट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृति	15.09.2012 तक	25.09.2012 तक
12.	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना	15.09.2012 तक	25.09.2012 तक

उल्लेखित छात्रवृतियों से सम्बन्धित आवेदन फॉर्मस निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाईट http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्धन है । महाविद्यालय / शिक्षण संस्था/छात्र डाउन लोड कर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेवे । निदेशालय स्तर पर छात्रवृति फॉर्मस विक्रय/वितरित नहीं किये जावेगें । छात्रवृति सम्बन्धी नियमों की जानकारी भी इन्टरनेट पर उपलब्ध है । अतः छात्र/शिक्षण संस्था छात्रवृति सम्बन्धित नियमों / शर्तो की पूर्ण जानकारी विभाग की वेबसाईट से प्राप्त कर सकते है । नियमों के तहत् पात्र छात्र पूर्ण भरे हुए छात्रवृति फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिक्षण संस्था में ही निर्धारित तिथि तक जमा करावें । निदेशालय में छात्रों से सीधे फार्म जमा नहीं किय जायेंगे ।

भरे हुए फॉर्मो के साथ गत परीक्षा उत्तीर्ण की सत्यापित अंक तालिका, प्रवेश पत्र, फीस रसीद की सत्यापित फोटो प्रति निर्धारित प्रारूप में आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है । जो छात्र/छात्रा छात्रावास में रहते है वे छात्रावास में एडमिशन का प्रमाण पत्र, मूल फीस रसीद, निवास करने की तिथि तथा छात्रावास वार्डन से प्रमाणित कराकर संस्था प्रधान से प्रति हस्ताक्षर कराकर संलग्न करें साथ ही छात्रावास का नाम पता, वार्डन का नाम पता, पद व मोबाईल नम्बर अंकित करें । इसके अभाव में छात्रवृति नहीं माना जायेगा ।

राष्ट्रीय छात्रवृति नूतन के आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/ विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे ।

आवेदक छात्र तथा शिक्षण संस्था प्रधान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय में पंहुच जाने चाहियें । अपूर्ण आवेदन पत्र तथा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा इसके लिए संबंधित शिक्षण संस्था एवं आवेदक छात्र जिम्मेदार होंगे। संस्था प्रधान सम्पूर्ण आवेदन फार्म की यह जॉच कर लेवें कि छात्र द्वारा कोई कॉलम खाली नहीं छोडा गया है तथा अधूरी/गलत सूचना नहीं दी गयी है । छात्र/छात्रा का फोटो तथा समस्त प्रमाण पत्रों का संस्था प्रधान द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/सन्तुष्टि के साथ प्रमाणित किया जायें तथा संस्था से संबंधित समस्त कॉलम पूर्तियॉ कर मय अभिशषा प्रमाण पत्र अंकित कर अपने हस्ताक्षर मय तिथि एवं सील लगाकर कर भिजवायें ।

नवीनीकरण (Renewal) छात्रवृति फार्म उन्हीं छात्रों के अग्रेषित किये जावें जिनको गत वर्ष नूतन (New) छात्रवृति मिली हो तथा छात्र ने पूर्णतया 50 प्रतिशत अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

सभी छात्रवृत्ति स्कीमों के नूतन/नवीनीकरण छात्रवृति आवेदन प्रपत्र निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर को हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी के साथ (सीडी में) निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से संस्था प्रधान द्वारा जमा कराना सुनिश्चित् करें ।

बिना सॉफ्ट कॉपी (सीडी के बिना) आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे । छात्रवृति का भुगतान छात्र के बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा । अतः छात्र आवेदन फार्म के मुख पृष्ठ पर अपना बचत खाता संख्या, बैंक का नाम पता, आवश्यक रूप से अंकित करते हुए पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करें ।

विशेषः– निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी./ अल्पसंख्यक/ निःशक्तजन छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जाती है । अतः इनके आवेदन फार्म इस विभाग में नही भिजवाये जायें ।

संस्था द्वारा अग्रेषण पत्र पर निम्न विवरण अंकित किया जायें (I नूतन II नवीनीकरण की अलग–अलग सूची) :–

क्र.स.	छात्र का नाम/ पिता का नाम	अध्ययनरत कक्षा	आवेदित छात्रवृति स्कीम	गत परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत वरिष्ठता क्रमानुसार	एस.बी.बी.जे बैंक खाता संख्या

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक :– एफ23(126) लेखा/निकाशि/छात्रवृति/ 2012–13/2648–2657 दिनांक 13/8/2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को आठ प्रतियों सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया इसका निशुल्क प्रकाशन, राजस्थान के सभी समाचार पत्रों में करवाने की व्यवस्था करावें ।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
3. निदेशक, आकाशवाणी, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
5. संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रवेश नीति वर्ष 2012–13 में उक्तानुसार संशोधन कराने का श्रम करावें
6. संपादक, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञाप्ति के अनुसार आपके राजस्थान के समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन करावें ।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय, राजस्थान, प्राचार्य संगीत संस्थान/ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर ।
8. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को कार्यक्रम से सूचित करावें ।
9. समस्त विश्वविद्यालय राजस्थान, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, निवाई टोंक को अपने अधीनस्थ विभागों एवं महाविद्यालयों को सूचति कराने बाबत प्रेषित है ।
10. वेबसाईट अनुभाग को अपलोड करने हेतु ।

संयुक्त निदेशक (छात्रवृति)